राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

रण सख्या : 400/2016

सत्यनारायण पुत्र श्री भंवरलाल उर्फ डाल्या जाति मेहर निवासी चन्द्राहेडी हाल निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

...... वादी

♠ बनाम ♠

1. रामनिवास पुत्र
2. अर्जूनलाल पुत्र } स्व0 अमरा
3. मोहनलाल पुत्र
4. मोहनीबाई पुत्री
5. भीमराज पुत्र } स्व0 केशरा
6. मांगीबाई पुत्री

} जातिगण मेहरा निवासीगण ग्राम चन्द्राहेडी तहसील मांगरोल हाल निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन अंतर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति
वकील प्रतिवादी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांक: 01.07.2016

निर्णय दिनांक : 04.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित आराजी खाता संख्या 15 की खसरा नं0 82 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0. 96 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.41 है0 अवस्थित है जो वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के शामलाती खाते की आराजी है। वादी का उक्त भूमि में हिस्सा 1/2 वा दर्ज है तथा वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 व दर्ज है तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अतः ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां स्थित खसरा नं0 82 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.45 है0 खसरा नं0 85 रकबा 0.96 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.41 है0 से वादी का हिस्सा 1/2 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 से अलग किया जाकर पृथक खाते दर्ज की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

तः पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस पर मनन करने के पश्चात य इस निर्णय पर पहुचा है कि ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित आराजी खाता 15 की खसरा नं0 82 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.96 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.41 में वादी का हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त है जिसे वादी पृथक अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। अतः ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित आराजी खाता संख्या 15 की खसरा नं0 82 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.96 है0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.41 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 पृथक से खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल